फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय–मुथूट चैम्बर, कुरिअन टावर, बानेरली रोड़, एर्नाकुलम उत्तर, कोच्चि – 682018 तथा शाखा कार्यालय– द्वितीय तल, प्रेस्टिज टावर, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री श्यामपाल सिंह तंवर ।

–प्रार्थी

बनाम

1. राजेश कुमार नागोड़ा पुत्र श्री बद्री लाल नागोड़ा, निवासी – मोरचना, पसुन्द, होटल रोड़ क्रोस के पास, जिला राजसमन्द, (राजस्थान) 313324

   एवं

   पता – अनुपमा रेस्टोरेन्ट एण्ड डाईनिंग हॉल, एन.एच.– 8, मोरचना, जिला राजसमन्द 313324

   एवं

   निवासी – मकान जो कि आराजी संख्या 308, मोरचना, जिला राजसमन्द (राजस्थान) 313324

   – ऋणी

2. श्रीमती चन्द्र कान्ता मेघवाल पत्नी श्री राजेश कुमार नागोड़ा, निवासी – मोरचना, पसुन्द, होटल रोड़ क्रोस के पास, जिला राजसमन्द (राजस्थान)313324

   एवं

   निवासी – मकान जो कि आराजी संख्या 308, मोरचना, जिला राजसमन्द (राजस्थान) 313324

   – सहऋणी

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 82/2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 02.01.2023 प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी मुथुट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर ने दिनांकः 12.10.2022 को इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी से जरिये ऋण करार संख्या 025–02500172 के द्वारा 7,22,720/– अक्षरे सात लाख बाइस हजार सात	

न्यायालय जिला कलक्टर

सौ बीस रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्न भुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पत्ति – आवासीय पट्टाशुदा मकान जो कि आराजी संख्या 308, मोरचना, ग्राम पंचायत पसुन्द, जिला राजसमन्द, (राजस्थान) को प्रार्थी कम्पनी के पास रहन किया। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नही कर सकें और दिनांक 05.04.2021 को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है। प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या 025–02500172 में बकाया रूपये 7,71,662/– रूपये (अक्षरे सात लाख इकतर हजार छः सौ बासठ रूपये मात्र) बकाया रकम व ब्याज दिनांक 31.07.2021 तक शेष व देय निकलते है, की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 26.07.2021 को मांग नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के माध्यम से अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पतों पर प्रेषित किये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "प्रातःकाल" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 27.09.2021 को प्रकाशित भी करवाया गया है, परन्तु उक्त नोटिस की जानकारी व प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। यह कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्न भुगतान के लिए जो सम्पत्ति रहन रखी है। उसका प्रार्थी कम्पनी में रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इस प्रकार है। एक आवासीय पट्टाशुदा मकान जो कि आराजी संख्या 308, मोरचना, ग्राम पंचायत पसुन्द, जिला राजसमन्द, (राजस्थान) में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 838.50 वर्गफीट है। जो कि राजेश कुमार पुत्र श्री बद्री लाल के स्वामित्व की है। प्रार्थी कम्पनी उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने की अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा सहऋणी को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 26.07.2021 को जारी किया गया था। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी मुथुट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरण आवासीय पट्टाशुदा मकान जो कि आराजी संख्या 308, मोरचना, ग्राम पंचायत पसुन्द, जिला राजसमन्द, (राजस्थान) में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि: पूर्व :– आम रास्ता, पश्चिम

न्यायालय जिला कलक्टर

:– शंकरलाल सालवी का मकान, उत्तर :– आम रास्ता, दक्षिण :– माता जी की डोली हैं।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी मुथुट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी मुथुट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार राजकोष में पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)